अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

224/2018/225 RTA

गोपाल बनाम कमला वगै.

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2018/00224 R-1,2,3,5 4A-5 श्री प्रेमचन्द्र बाला श्री कुलवीर सिंह चौहान 3,4	

10/10/22

गोपाल बनाम कमला वगैरह (2018/00224)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 3 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस कैम्प कोर्ट सुनवाई नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही हो पाया और अधीनरथ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित किये थे उस समय केवल रेस्पोडेन्ट ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।सर्वप्रथम अपीलांट को उपरोक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.06.2018 को हुयी जब रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की। जिस पर अपीलांट द्वारा न्यायालय मे अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर उपरोक्त तथ्यों की जानकारी ली। जहॉ अभिभाषक ने अपीलांट को अवगत करया कि कैम्प कोर्ट के तहत् आदेश पारित किये थे इसलिए आगे अपील करने की आवश्यकता है। जिस पर नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने अपील पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट के द्वारा रामदेव से क्रय किया गया था जिसके पश्चात् से ही वह उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु पश्चातवर्ती विक्रय–पत्र जो कि रामदेव की विरासत के आधार पर हुआ। जिससे रेस्पोडेन्ट ने स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया और वही अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा हो रहे है।. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनरथ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया किन्तु अधीनरथ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2018 अविधिक आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 10.05.2018 को उपरोक्त वाद ग्राम खीरीया में राजस्व लोक अदालत के तहत् प्रस्तुत होने पर बिना अपीलांट को सुने रेस्पोडेन्ट द्वारा बताये गये झूठे कथनों के आधार पर विश्वास करते हुए निरस्त कर दिया। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 10.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र खीरिया में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किये गये थे बाद तामील पत्रावली में सलंग्न है। अपीलांट का यह कहना की कैम्प कोर्ट के नोटिस प्राप्त नहीं होना कहना गलत है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में देरी का उक्त कारण ही अंकित किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात अभिभापक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनरथ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने दो प्रार्थना पत्र अरथायी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

224/18/225 RTA गोपाल V/S कमला वगै.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2018/00224 R-1,2 मु. 4A-5 श्री मौ० इकबाल श्री दलवीर सिंह चौहान-3,4	

लगातार

निषेधाज्ञा पेश किये है पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2016 पेश किया तत्पश्चात दिनांक 12.03.2018 को पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किये है जो विधिक त्रुटि कारित की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिनांक 10.05.2018 जो आदेश पारित किये है विधि सम्मत है इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।. **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा10 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील सरवाड़ की ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर